राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1776/2012/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–II, वृत–L, जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

कोस्मो कंस्ट्रक्शन कम्पनी,
श्रीगोपाल नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प–जयपुर
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 01/09/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 105/आरवेट/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 08.12.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–द्वितीय, वृत–एल, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दि. 24.10.2008 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति 16,800/– को अपास्त करते हुए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 23.10.2008 को सशक्त अधिकारी द्वारा ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान गोपालपुरा बाईपास रोड पर ऑटो संख्या आरजे 02 जी/जीए 141 को चेक किया गया। वक्त चैकिंग मैसर्स धीरावत इंजिनियरिंग वर्क्स झोटवाडा को चालान संख्या 757 दिनांक 23.10.2008 का पेश किया गया। वहनित माल मैसर्स कोस्मो कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा जॉब वर्क्स हेतु भेजा जा रहा था। प्रस्तुत दस्तावेजों को संदेहास्पद मानते हुए अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् कार्यवाही करते हुए अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति रूपये 16,800/– आरोपित की। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 08.12.2011 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील राजस्थान कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है।

क्रमशः.....2

3. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात् यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि परिवहन माल के साथ वांछित दस्तावेज मौजूद थे, एवं माल मैसर्स धारीवाल इंजिनियरिंग वर्क्स को फेब्रिकेशन हेतु हमेशा चालान से ही भेजा जाता है, एवं चालान से ही माल प्राप्त किया जाता है। जॉब वर्क का भुगतान करते समय टीडीएस भी काटा जाता है जिसका नियमित लेखा पुस्तकों में इन्द्राज किया जाता है। वक्त चैकिंग पाये गये माल में एवं चालान में उल्लेखित माल में कोई अन्तर नही पाये जाने के कारण व्यवहारी की करापवंचना को नही माना जा सकता है। शास्ति आरोपण से पूर्व सशक्त अधिकारी को पूर्ण जांच किया जाना आवश्यक था एवं इस प्रकरण में सशक्त अधिकारी द्वारा जांच किये बिना ही अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति का आरोपण किया है, जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अविधिक एवं आधारहीन मानते हुए अपास्त किया गया है। केवल मात्र संदेह के आधार पर की गई कार्यवाही को विधिक व न्यायोचित नही कहा जा सकता है, अतः सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् आरोपित शास्ति अविधिक होने के कारण उपायुक्त अपील्स ने उचित आधार पर अपास्त की है, जो उचित है।

6. अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 08.12.2011 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, एवं विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है।

7. आदेश प्रसारित किया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष